न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 47 वर्ष 2023

आवेदक–प्रेमलाल टुडू
ग्राम –अरारी
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

क्रेता– महेन्द्र मुर्मू
ग्राम –चरगी टोला लरबदार
थाना –पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
04.10.2023		

आदेश

यह वाद आवेदक प्रेमलाल टुडू पिता मुंशी मॉझी निवासी ग्राम अरारी थाना पेटरवार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर *काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/***(ख)** के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकवा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
अरारी	20	17	211	3.67 ए0	13¾डी0	कृषि योग्य

को वे अपने आवश्यक कार्य हेतु मो0 1,78,000/– (एक लाख अठहतर हजार) रूपये में क्रेता– महेन्द्र मुर्मू पिता भीखु मुर्मू निवासी ग्राम चरगी थाना पेटरवार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ *किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा* 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 711/रा0 दिनांक 07.06.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 842 दिनांक 15.09.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम अरारी एवं केता ग्राम चरगी टोला लरबदार दोनो थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में मझिया मॉझी वल्द ठाकुर मॉझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी सुखराम मॉझी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 72/1 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–2023 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि आपसी बॅटवारा द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध दादा, पोता का है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज मंझिया मॉझी वल्द ठाकुर मॉझी के नाम से

सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी सुखराम मॉझी के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं। बिक्रेता के पिता मुंशी मॉझी के द्वारा एक शपथ पत्र समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे बुढापा अवस्था में है तथा उनके तीन पुत्र 01. प्रेमलाल टुडू 02. मोतीलाल टुडू 03. हीरालाल टुडू है तथा तीनों पुत्रों को अपने जीवनकाल में सभी प्रकार के भूमि को बॅटवारा किये गये हैं तथा उन्हें किसी प्रकार का कोई आपति नहीं है।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैंः–

01. विक्रेता– मझिया मॉझी के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, सुखराम मॉझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिकेता ग्राम अरारी एवं केता ग्राम चरगी टोला लरबदार दोनों एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अत आवेदक प्रेमलाल टुडू पिता मुंशी मॉझी निवासी ग्राम अरारी थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकवा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
अरारी	17	211	3.67 ए0	13¾डी0	लखीराम मॉझी	राघु मुण्डा विकी	लखीराम मॉझी	लेडा मॉझी
कुल 13¾डी0 (तेरह पुर्णाक तीन बटा चार डिसमिल जमीन मात्र।)								

मो0 1,78,000/– (एक लाख अठहतर हजार रूपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– महेन्द्र मुर्मू पिता भीखु मुर्मू निवासी ग्राम चरगी टोला लरबदार थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.04 12:29:10 +05:30
Location: 192.168.202.43

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।